न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 57 / 2018 जिला सीकर

1. कजोडराम पुत्र रामनाथ
2. फतेहचन्द सैनी पुत्र महादेव माली
3. ग्यारसी लाल पुत्र केशा सैनी
4. सूरजमल पुत्र रामनाथ सैनी
5. राजेन्द्र पुत्र बद्रीनारायण सैनी

समस्त जाति माली, समस्त निवासीयान ग्रम रामपुरा बासडी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. छाजूराम पुत्र किशनाराम सैनी, जाति माली, निवासी ग्रम रामपुरा बासडी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)
2. तहसीलदार खण्डेला ,तहसील खण्डेला ,जिला सीकर (राज.)
3. उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ,तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध

आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 3.1.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त दीक्षित
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री एन.के.जैन

निर्णय

दिनांक– 12.3.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर के निर्णय दिनांक 3.1.2018 क्रमांकः राजस्व / 2018 / पं.सं.रामपुरा (खण्डेला) / 06 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.9.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम रामपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 45, 46, 133 / 2, 134, 138, 152 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी

खण्डेला ने दिनांक 3.1.2018 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 21.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार खण्डेला को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस ओदश का भाग रहेंगे ।

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्रम	खसरा नं.	रकबा
1	रामपुरा (खण्डेला)	रामपुरा	45	0.02 हैक्टर
			46	0.02 हैक्टर
			133/2	0.01 हैक्टर
			134	0.02 हैक्टर
			138	0.02 हैक्टर
			152	0.10 हैक्टर

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 3.1.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय 3.1..2018 क्रमांकः राजस्व/2018/पं.सं.रामपुरा (खण्डेला)/06 निरस्त किये जाने एवं प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को समस्त प्रभावित पक्षकारान (सह खातेदारान) को नोटिस एवं सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करने व मौका रिपोर्ट सभी की उपस्थिति व सहमति से तैयार की जाकर नये सिरे से उचित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि गत खसरा नम्बर 133/2 हाल खसरा नम्बर 1317/133 , गत खसरा नम्बर 134 हाल खसरा नम्बर 1320 /134 एवं गत एवं हाल खसरा नम्बर 152 में से जो रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने एकपक्षीय रूप से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 छाजूराम के पक्ष में पारित किया है , जो पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ , शून्य, अवैध व क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर अपीलान्ट्स एवं अन्य सहखातेदारों के पक्के मकानात बने हुये हैं तथा वे निवास कर रहे हैं , मन्दिर आदि भी बनाकर वही पूजा अर्चना भी करते हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता निकालने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के खातेदारों एवं सह काश्तकारों को कभी भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अवसर नहीं दिया । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट छाजूराम ने धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता दिये जाने हेतु पूर्व में भी उप खण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था जो वर्ष 2012 से लम्बित चल रहा है , जिसमें निर्णय होना शेष है । ऐसी स्थिति में एक ही प्रकरण में पुनः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रास्ता दर्ज कराने हेतु नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय पारित कराया जाना कानूनी सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । तहसीलदार द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 6.10.2017 को बनायी है, जो पूर्णतया एकपक्षिय है । तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट तैयार करते समय मौके पर अपीलान्ट्स अथवा अन्य सह खातेदारों में से किसी को भी नहीं बुलाया एवं बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार की है , जो विधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट छाजूराम ने अपीलान्ट्स को मौके पर आकर एलानियां धमकी दी कि मैनें तुम्हारी खातेदारी भूमियों में से दिनांक 3.1.2018 को उप खण्ड अधिकारी खण्डेला की कोर्ट से रास्ता निकलवाने का आदेश करा लिया है, इस पर दिनांक 7.9.2018 को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई ओर आदेश की नकल प्राप्त कर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के दृष्टिगत विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा संबंधित समस्त प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट ने उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को दिनांक 8.9.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि उसकी पुस्तैनी जमीन खसरा नम्बर 36 के अन्दर मकान 2011

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

में बनाया था अब इस मकान में आने के लिए चार पहिया वाहन का रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है एवं खाली पगडन्डी छोड रखी है । खसरा नम्बर 157, 158, 159, 160, 161, 162, 151, 150, 146, 148 में रास्ते के दोनों तरफ आते हैं तथा रास्ता खसरा नम्बर 152 है । इसलिये उसे आने जाने में काफी मुश्किल होती है । रास्ते का सीमाज्ञान करवाकर रास्ता चौडा करवाने का निवेदन किया गया । रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार खण्डेला द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 6.10.2017 को तैयार करवाई जिसमें उक्त खसरा नम्बर 152 किस्म बंजड दर्ज होने एवं मौके पर रास्ता चालू होने , जिसे खसरा नम्बर 148, 149, 150 के खातेदारों द्वारा पत्थरों , छडियों तथा तारबंदी कर अवरूद्ध किये जाने का अंकन किया हुआ है । तहसीलदार खण्डेला की अभिशंषा क्रमांकः भू.अ./2016/4147 दिनांक 15.12.2017 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2018 पारित कर विवादित भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत की है जबकि विलम्ब के संबंध में अंकित कारण कपोल कल्पित एवं मनगढन्त व झूठे है । अतः विलम्ब के संबंध में संतोषजनक कारणों के अभाव में विलम्ब को क्षमा किया जाना कानून उचित नहीं है । अतः सर्वप्रथम अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से उन्हें बिना सुने एवं विधिवत नोटिस तामिल कराये बिना मात्र तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट के आधार पर गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा पारित किया है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तहसीलदार खण्डेला द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट व नक्शा संलग्न् कर विवादित भूमि में से रास्ता दर्ज किये जाने की अभिशंषा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को की गई थी । फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रचलित रास्ता पुराना होने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने तथा आवागम हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने के कारण उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने तहसीलदार खण्डेला के प्रस्ताव के अनुसार विवादित भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2018 पारित किया है । उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के आदेश दिनांक 6.10.2017 की पालना में दिनांक 6.10.2017 को तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम रामपुरा में मौके पर खसरा नम्बर 152 किस्म बंजड दर्ज होकर मौक्के पर रास्ते के रूप में चालू होना एवं रास्ते को

खसरा नम्बर 148, 159, 150 के खातेदारों द्वारा पत्थरों व छडियों की बाड तथा तारबन्दी कर अवरूद्ध किया जाना अंकित किया है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर के अपीलधीन आदेश दिनांक 3.1.2018 के अनुसार मौके पर रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है । ऐसी स्थिति मे हम अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के निर्णय दिनांक 3.1.2018 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर